प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– .....2023 .....
प्र0सू0रि0 सं .....99/2023.....दिनांक.....28/4/2023.....

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.....धाराए ..... 7.....

(2) अधिनियम.....भादसं.....धाराए.....

(3) अधिनियम.....धाराए.....

(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....

3. (क) घटना का दिन :– .....सोमवार.....दिनांक :–.....02.01.23.....समय : .....

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....02.01.23.....समय : 03.30 पीएम.....

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....512..... समय.....5:10 P.M.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण–पूर्व दिशा बफासला करीब 55 किलोमीटर

बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....

(ख) पता:– तह. गोलुवाला जिला हनुमानगढ़।

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस

थाने का नाम..... जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– विक्रमजीत

(ख) पिता/पति का नाम :– श्री कृष्णलाल

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 32 वर्ष

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....

(च) व्यवसाय :—

(छ) पता :– निवासी लोंगवाला तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. सुलेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी 12 एच, हिश्यामकी पुलिस थाना घड़साना तह. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कानि0 न0 821 पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ़।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ़ में परिवादी विक्रमजीत को प्रकरण संख्या 381/22 में आरोपी नहीं बनाने की एवज में सुरेन्द्र कानि. नं. 821 पुलिस थाना गोलुवाला द्वारा अनुसंधान अधिकारी भजनलाल के नाम पर परिवादी को डरा धमकाकर परिवादी से 100000 रूपये की मांग की गयी जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.01.23 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी सुरेन्द्र कानि0 द्वारा भजनलाल थानाधिकारी के नाम पर परिवादी से 70000/रूपये रिश्वत हेतु तय कर 15000 रूपये दौराने मांग सत्यापन प्राप्त करना तथा बकाया 55000 रूपये लेने हेतु सहमत होने की पुष्टि होना आदि आरोप हैं।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 02.01.23 को वक्त 3.30 पीएम पर परिवादी श्री विक्रमजीत पुत्र श्री कृष्णलाल

जाति बिश्नोई उम्र 32 साल निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ने ब्यूरो कार्यालय भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–द्वितीय पर उपस्थित होकर श्री वेदप्रकाश लखोटिया उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया कि " दिनांक 26.12.2022 को रजनदीप कौर उनि पुलिस थाना पीलीबगा के नेतृत्व में फाजिल्का पंजाब क्षेत्र की दो गाडियों में 76 किलोग्राम पोस्त पकडकर मुकदमा नम्बर 381/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ में दर्ज हुआ था। इस मुकदमा की तफतीश श्री भजनलाल थानाधिकारी पुलिस थाना गोलुवाला द्वारा की जा रही है। उक्त मुकदमा में सुधीर नामक व्यक्ति गिरफतार हुआ है। दिनांक 29.12.2022 को प्रेम भाट, महेन्द्र हवलदार व सुभाष कानि0 पुलिस थाना गोलुवाला से रात्री के समय मेरे घर गये थें। मैं घर पर नही था, मेरे परिवारजन घर पर थें, जिनसे उक्त पुलिस वालो ने मेरे बारे में पूछकर कहा कि तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, तो मेरे परिवारजन ने कहा कि यदि विक्रम के खिलाफ मुकदमा है तो एफआईआर दिखाओं जिस पर पुलिस वाले जबरन मेरे घर में घुस गये, घर पर यह समाचार देकर आ गये कि विक्रम को थाने भेज देना। फिर दिनांक 30.12.2022 को मैं थाने पर गया तो वहा पर प्रेमभाट हवलदार ने मेरे से कहा कि उक्त मुकदमा का सुधीर नामक मुल्जिम तेरे को छः माह पूर्व पोस्त सप्लाई करना बता रहा है। यदि तुझे मुकदमा में बचना है तो 1,50,000 रूपये एसएचओ साहब को देने होगें। मैं उस दिन थानाधिकारी भजनलाल से भी मिला था और उनसे कहा कि साहब मैं इस मुकदमा में किसी भी मुल्जिम को नही जानता हूं, मेरा नाम आ रहा है तो झूठा आ रहा है। जिस पर थानाधिकारी ने मुझे डांट फटकार बाहर निकाल दिया। फिर मैं दुबारा प्रेमभाट हवलदार से मिला और उससे मदद करने को कहा तो उसने कहा कि कम से कम 1,00,000/–रूपये देने होगे मैं थानेदार जी से बात कर लूंगा। उस दिन के बाद से मेरे वाटसअप नम्बर 9351059193 पर प्रेमभाट हवलदार नम्बर 9414382283 व सुरेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 8094574957 से मेरे से वॉटसअप कॉल करके लगतार रिश्वत की मांग कर रहे है, जिनके वाटसअप काल के स्क्रीन शॉट मैं पेश कर रहा हूं। श्रीमान जी, मैं निर्दोष व्यक्ति हूं मुझे नजायज रूप से रिश्वत हेतू परेशान किया जा रहा है। मैं भजनलाल थानाधिकारी अथवा थाना के अन्य प्रेमभाट व सुरेन्द्र कानि0 को रिश्वत नही देकर उन्हे रंगे हाथ रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। कृपया मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। " प्रस्तुत रिपोर्ट पढकर सुनाने पर परिवादी ने रिपोर्ट के तथ्य सही–सही होना एवं रिपोर्ट पर अपने ही हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर होना स्वीकार किये। मजीद दरियाफ्त पर रिपोर्ट के तथ्य बयान करते हुए बताया कि पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ के मुकदमा संख्या 381/2022 एनडीपीएस एक्ट में पुलिस थाना गोलुवाला के थानाधिकारी भजनलाल व अन्य आरोपीगण मुझे फंसा देने की धमकी के तहत मेरे से नाजायज रूप से एक लाख रूपये की रिश्वत मांग रहे है। इसी संदर्भ में दिनांक 29.12.2022 को रात्रि में पुलिस थाना गोलुवाला के प्रेम भाट, महेन्द्र हवलदार व सुभाष कानि0 मेरे घर लोंगवाला में नजायज रूप से घुस गये थे और मुझे उठाने का प्रयास भी किया था। उस दिन में घर पर नही था, तब वो लोग मेरे घर वालो को मुझे थाना में भिजवा देने का कहकर आये थे। जिस पर मैं दिनांक 30.12.2022 को पुलिस थाना गोलुवाला में जाकर प्रेमभाट हवलदार से मिला तो उसने मेरे से कहा कि मुकदमा में तेरा नाम आ रहा है, यदि तु डेढ लाख रूपये देता है तो थानेदार जी तेरे को मुकदमा में मुल्जिम नही रखेगे, फिर मैं श्री भजनलाल थानाधिकारी से मिला तो मुझे डांट फटकार कर बाहर निकाल दिया। जिस पर मैंने प्रेमभाट से दुबारा मिलकर उसे बताया कि साहब मेरा इस मुकदमा से कोई संबंध नही है, मेरी मदद करो, तब प्रेमभाट ने कहा कि एक लाख रूपये तो थानेदार जी के देने होगे। जबकि उक्त प्रकरण से मेरा कोई संबंध नही है। आरोपीगणो प्रेमभाट हवलदार व सुरेन्द्र कानि0 द्वारा रिश्वत हेतू बार–बार व्हाटसप कॉल करके मेरे से रिश्वत की मांग की जा रही है। मै आरोपीगणो को रिश्वत नही देकर उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी आरोपीगणो से न तो कोई रंजिश है और ना ही हमारा आपसी कोई लेन देन है। इस प्रकार मजमुन रिपोर्ट व दरियाफ्त परिवादी से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही में आना पाये जाने पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विक्रमजीत सिंह को आरोपीगणो द्वारा रिश्वत मांगे जाने के आरोपो के संबंध में ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करवाकर सत्यापन कराने को कहा तो परिवादी ने इस हेतु स्वेच्छा से सहमति दी, जिस पर श्री बजरंगलाल कानि0 496 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को उपयोग में लेने की पूर्ण विधि परिवादी को समझाई गई। तत्पश्चात उसी रोज जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री विक्रमजीत को सुपुर्द कर श्री बजरंग लाल कानि0 के साथ गोपनीय सत्यापन हेतू रवाना किया गया। वक्त 09:00 पी.एम. पर परिवादी विक्रमजीत व बजरंग लाल कानि0 वापस चौकी आये और डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर परिवादी ने बताया कि गोलुवाला पहुॅचकर मैं टेप रिकॉर्डर चालु हालत में साथ लेकर आरोपी सुरेन्द्र कानि0 से मिला था, जिसने मेरे से पुलिस थाना गोलुवाला में दर्ज उक्त मुकदमा के

संबंध में बातचीत करते हुए मुझे मुकदमा में मुल्जिम नही रखने की एवज में भजनलाल थानाधिकारी के लिए 70 हजार रूपये रिश्वत हेतु तय कर 15 हजार रूपये दौराने बातचीत प्राप्त कर लिए है तथा बकाया 55 हजार रूपये की और मांग की जा रही है। इस पर प्रस्तुत डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो इसमें परिवादी के बताये अनुसार वार्ता रिकॉर्ड होकर 70,000/–रूपये रिश्वत हेतु तय करके 15,000/–रूपये प्राप्त करने तथा बकाया 55,000/–रूपये की मांग किये जाने के तथ्य रिकॉर्ड होना पाये गये। इस रिकॉर्ड वार्ता से रिश्वत की मांग का पूर्ण सत्यापन होने की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी विक्रमजीत ने बताया कि आरोपीगणो को बकाया रिश्वत राशि सुबह जल्दी दी जानी है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो राजकीय लोक सेवको की बतौर गवाह आवश्यकता होने से उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नरेश कुमार कानि0 के जरिये उपायुक्त प्रशासन, वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर कार्यालय के दो कर्मचारियो को प्रातः 8 एएम पर बतौर गवाह उपस्थित आने हेतु पांबद करवाया गया तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर के जरिये सुनकर रूबरू मौतबिरान फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी बनाकर एक सीडी को सील मोहर कर तथा दुसरी को खुली हालत में कब्जा में लिया गया। परिवादी श्री विक्रमजीत को आरोपीगणो द्वारा मांग अनुसार बकाया रिश्वत राशि 55,000/–रूपये की व्यवस्था कर प्रातः 8 एएम तक चौकी पर उपस्थित आने के लिए पांबद कर वापस भेजा गया। दिनांक 03.01.2023 वक्त 08:00 ए.एम. पर कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर से श्री रवि कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री निगम दाधीच वरिष्ठ सहायक उपस्थित चौकी आये। वक्त 11.00 ए. एम. पर परिवादी श्री विक्रमजीत चौकी पर उपस्थित आया। जिसका कार्यालय में मौजुद श्री रवि कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री निगम दाधीच वरिष्ठ सहायक से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 का दोनो लोकसेवकों को अवलोकन करवाकर सत्यापन के तथ्यो से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात दोनो लोकसेवको को कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग करने की अपेक्षा की तो दोनो ने स्वेच्छा से कार्यवाही के गवाह बनने की सहमति दी। फिर परिवादी ने उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 55,000/–रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट पेश किये। उप अधीक्षक पुलिस ने नोटो के नम्बरो को फर्द में अंकित करवाकर श्री मनजीत चलाना कानि. से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया व परिवादी की जामा तलाशी गवाह से लिवाई जाकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी नोटो को श्री मनजीत चलाना कानि. से परिवादी के पहनी जिन्स पेंट की सामने की जेब में रखवाया जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। ट्रेप का ईशारा निर्धारित किया गया। फिर फिनॉफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया का दृष्टांत दिखाकर हाजरीन को इसका महत्व व परिणाम समझाया गया। परिवादी को रिश्वती लेन देन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर दिया गया। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 12.30 पीएम पर श्री वेदप्रकाश लखोटिया उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री विक्रमजीत, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री रवि कुमार व निगम दाधीच तथा ब्यूरो स्टाफ श्री पंकज शर्मा कानि0ड्रा0 मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी बोलेरो गाड़ी व दो प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर कस्बा गोलुवाला के नजदीक पहूंचे, जहां से परिवादी के जरिये आरोपी सुरेन्द्र कानि0 की मौजूदगी का पता करवाया तो आरोपी गोलुवाला थाना में उपस्थित नही होकर थाना क्षेत्र में जाना व वापसी का कोई समय निर्धारित नही होना पता चला। परिवादी ने बताया कि आरोपी सुरेन्द्र रिश्वत राशि प्राप्त करने मेरी गांव लोंगवाला नजदीक ढाणी पर भी आ सकता है। चूंकि गोलुवाला कस्बा काफी छोटा होने तथा ट्रेप पार्टी की मौजूदगी की सूचना आम हो सकने की स्थिति में उप अधीक्षक पुलिस हमराही परिवादी व अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित रवाना होकर परिवादी की लोंगवाला के नजदीक स्थित ढाणी पर पहूंचे और समय व्यतीत करने लगे। वक्त 08.00 पीएम तक उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप पार्टी सहित परिवादी की ढाणी में रूककर आरोपी का इंतजार किया गया। गोपनीय रूप से मालूम करने पर आरोपी की मौजूदगी बाबत कोई पुख्ता सूचना नही मिलने, आरोपी द्वारा परिवादी से सम्पर्क नहीं करने तथा मौसम काफी खराब होने एवं काफी धूंध (कोहरा) आने के कारण कार्यवाही सम्भव प्रतीत नही होने पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी विक्रमजीत से सुपुर्द रिश्वत राशि 55,000/रूपये व डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त किया एवं परिवादी को हिदायत दी गई की वह आईंदा आरोपी की मौजूदगी का पता लगाकर सूचित करें। तत्पश्चात उप अधीक्षक पुलिस, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित परिवादी की ढाणी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचे, ट्रेप राशि व टेप रिकॉर्डर श्री सुबेसिंह मु0आ0 से सुरक्षित मालखाना रखवाया गया व गवाहान को मुनासिब हिदायत कर जाने की इजाजत दी गई। **दिनांक 04.01.2023** वक्त 01.00 पीएम पर परिवादी विक्रमजीत चौकी हाजा पर उपस्थित आया एवं बताया कि आरोपी का

मैने गोपनीय रूप से मालूमात किया तो वह थाना पर मौजूद था, इस पर जरिये दूरभाष कार्यवाही के स्वतन्त्र गवाहान तलब किये जाने पर वक्त 1.30 पीएम पर गवाह श्री रवि कुमार व निगम दाधीच के उपस्थित आने पर उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री विक्रमजीत, उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा ब्यूरो स्टाफ श्री पंकज शर्मा कानि0ड्रा0 मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी बोलेरो गाड़ी व दो प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर कस्बा गोलुवाला के नजदीक पहूंचे, जहां से परिवादी के जरिये आरोपी सुरेन्द्र कानि0 की मौजूदगी का पता करवाया तो आरोपी हनुमानगढ जाना पता चला। परिवादी ने बताया कि आरोपी हनुमानगढ से वापसी के समय मेरी ढाणी भी आ सकता है, इस पर उप अधीक्षक पुलिस हमराही परिवादी व अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित रवाना होकर परिवादी की लोंगवाला के नजदीक स्थित ढाणी पर पहूंचा और समय व्यतीत करने लगा। शाम तक उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप पार्टी सहित परिवादी की ढाणी में रूककर आरोपी का इंतजार किया गया, लेकिन आरोपी की तरफ से कोई सम्पर्क नही किया गया। जिस पर वक्त 07.48 पीएम पर परिवादी से उसके मोबाईल से आरोपी सुरेन्द्र कानि0 के मोबाईल नम्बर 80945–74957 पर जरिये व्हाटसप वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने खुद को बाहर होना बताया और कहा कि आज में नही मिल सकूंगा। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा अपने कार्य के सम्बध में बात करने पर कहा कि तु निश्चिंत होकर सो जा। इस वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड किया गया। जिसकी जरिये लेप टोप फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी तैयार की गई। एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया व एक सीडी को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। तत्पश्चात कार्यवाही की सम्भवाना नही होने पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी विक्रमजीत से सुपुर्द रिश्वत राशि 55,000/रूपये व डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त किया एवं परिवादी को आवश्यकत हिदायत दी जाकर वही छोड़ते हुये उप अधीक्षक पुलिस गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित परिवादी की ढाणी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा, ट्रेप राशि व टेप रिकॉर्डर एवं सीडी श्री सुबेसिंह मु0आ0 से सुरक्षित मालखाना रखवाया गया व गवाहान को मुनासिब हिदायत कर जाने की इजाजत दी गई। **दिनांक 23.01.2023 को** परिवादी विक्रमजीत ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि मैने आरोपी सुरेन्द्र कानि0 के बारे में गोपनीय रूप से मालुमात किया तो वह छुट्टी पर जाना ज्ञात हुआ है, उसने मेरे से अब तक कोई सम्पर्क नही किया है, जैसे ही मेरे से सम्पर्क करेगा, तो आपको सूचित कर दूंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 27.02.2023 वक्त 04.15 पीएम परिवादी विक्रमजीत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी विक्रमजीत ने **कार्यवाही ड्रॉप करने बाबत** एक लिखित प्रार्थना पत्र उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश कर बताया कि मैने दिनांक 02.01.23 को श्रीमान के कार्यालय में भजनलाल थानाधिकारी व प्रेमभाट व सुरेन्द्र कानि0 पुलिस थाना गोलुवाला के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर श्री सुरेन्द्र कानि0 का उसी दिन रिश्वत मांग करने का सत्यापन करवाया था। सत्यापन के दौरान श्री सुरेन्द्र कानि0 ने मेरे से 70,000/–रूपये रिश्वत हेतु तय करके 15,000/–रूपये उसी समय ले लिये तथा बकाया 55,000/–रूपये बाद में लेने हेतु तय किये थे। जिस पर दिनांक 03.01.23 व 04.01.23 को सरकारी गवाह व टीम लेकर ट्रेप कार्यवाही का प्रयास किया था, परन्तु सुरेन्द्र कानि0 द्वारा दोनो ही दिन मेरे से नही मिला, जिससे ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी। मुझे लगता है कि उसे कार्यवाही का शक हो गया है और वह सतर्क हो जाने के कारण मेरे से नही मिल रहा है, ना ही रिश्वत की शेष राशि की मांग कर रहा है। अतः अब कार्यवाही होना सम्भव नही है, मेरे द्वारा प्रस्तुत ट्रेप राशि 55,000/रूपये लौटाने तथा उक्त सुरेन्द्र कानि0 के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं होने से कार्रवाई बंद की गई। परिवादी विक्रमजीत के आवेदन पर ट्रेप राशि 55,000/– रूपये श्री सुबे सिंह मु0आ0 से मालखाना हाजा से मंगवाकर जरिये रसीद वापस लौटाये गये। रसीद शामिल कागजात की गई।

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार आरोपी का सही नाम पता सुलेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी 12 एच, हिश्यामकी पुलिस थाना घड़साना तह. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कानि0 न0 821 पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ हैं।

इस प्रकार परिवादी श्री विक्रमजीत पुत्र श्री कृष्णलाल बिश्नोई निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, आरोपी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता आदि से यह तथ्य आया है कि पुलिस थाना गोलुवाला में दर्ज मुकदमा नम्बर 381/22 एनडीपीएस एक्ट के कम में दिनांक 29.12.2022 को अनुसंधान अधिकारी श्री भजनलाल थानाधिकारी पुलिस थाना गोलुवाला द्वारा परिवादी श्री विक्रमजीत के घर पर पुलिसकर्मी भिजवाकर दबिश दी गई थी, जिस पर परिवादी विक्रमजीत दिनांक 30.12.22 को पुलिस थाना गोलुवाला में

प्रेम भाट हवलदार से मिला तो उसने बताया कि मुकदमा में गिरफ्तार सुधीर नामक व्यक्ति द्वारा परिवादी का नाम लिया जा रहा है, मुकदमा में बचने के लिये थानाधिकारी के लिये 1,50,000/रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर परिवादी थानाधिकारी भजनलाल से मिला तो उसने दबाव बनाने के लिये परिवादी को धमकाकर अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद परिवादी पुनः प्रेम भाट से मिला तो उसने थानाधिकारी के लिये 1,00,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा थानाधिकारी को संतुष्ट करने का आश्वासन दिया। उस दिन के बाद से प्रेम भाट हवलदार व सुलेन्द्र कानि0 परिवादी से उक्त मामला में व्हाटसप कॉल कर रिश्वत की मांग करते रहे। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.01.23 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी सुलेन्द्र कानि0 द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अपनी पदीय स्थिति का दबाव बनाकर परिवादी से भजनलाल थानाधिकारी के लिए 70,000/रूपये रिश्वत के तय कर 15,000/रूपये वक्त सत्यापन प्राप्त करना तथा बकाया 55 हजार रूपये बाद में देना तय करना वार्ता से पुष्टि होना पाया गया। जिसके अनुसरण में दिनांक 03.01.23 व 04.01.23 को ट्रेप का आयोजन किया गया, लेकिन परिवादी से आरोपी सुलेन्द्र कानि0 के सम्पर्क नही करने से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी आदि तथ्यों से आरोपी द्वारा परिवादी को डरा धमकाकर रिश्वत की मांग करना पाये जाने पर आरोपित **सुलेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी 12 एच, हिश्यामकी पुलिस थाना घड़साना तह. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कानि0 न0 821 पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ़** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(विजेन्द्र कुमार सीला)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
श्रीगंगानगर–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुलेन्द्र कुमार, कानि. 821, पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 99/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 765-68 दिनांक 28.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

28.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।